निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 53/11
दायरा दिनांक :– 09.06.2011
निर्णय दिनांक :–24.05.2022

उनवान

छीतरलाल पुत्र परसराम जाति किराड निवासी बडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बडा तहसील बारां
2. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बडा तहसील बारां
3. श्याम पुत्र मोहनलाल जाति बैरागी निवासी बडा तहसील बारां

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट
निर्णय दिनांक :–24.05.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम बडा तहसील बारां में खसरा नं0 1187 रकबा 0.40 है0 भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है। वादी अपनी खाते की आराजी पर शांति पूर्वक ढंग से काश्त कर रहा है। गत वर्ष वादी ने अपनी भूमियों मे फसल गेहुं बोयी एवं काटी थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी ही इस भूमि का उपयोग करता चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण गांव के झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन झगडा करते रहते है दिनांक 28.05.2011 को तीनो प्रतिवादीगण, वादी के खेत खसरा नं0 1187 पर आ गये तथा [illegible] धमकी दी कि तुम इस वर्ष इस भूमि को काश्त नहीं करोगे यदि काश्त करोगे तो [illegible] इस भूमि को जबरन हांक देंगें। वादी के समझाने पर बामुश्किल प्रतिवादीगण चले गये लेकिन एलानियां धमकी दे गये कि आयन्दा मोका मिलेगा तो हम इस भूमि को जबरन काश्त करके [illegible] जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रतिवादिगण को इस तरह की धमकी देने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। क्योकिं वादी अपनी भूमि का स्वयं मालिक है। अतएव वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत 2065–68 खाता सं 134 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में छीतरलाल के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्ताकरण सं0 65 ग्राम बडा, नकल नामान्तकरण सं0 517 ग्राम बडा पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी गण के जवाब दावा मय काउन्टर के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

<u>तनकी नं0 1</u> आया की ग्राम बडा की आराजी ख0नं0 1187 रकबा 0.40 है0 आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। और वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। **वादी**

<u>तनकी नं0 2</u> आया की ग्राम बडा की आराजी ख0नं0 1187 रकबा 0.40 है0 में से इन्तकाल नं0 517 से दिनांक 14.06.2000 में 0.10 है0 प्रतिवादी कम 2 पन्नालाल व 0. 10 है0 प्रतिवादी कम 2 श्याम व इसी प्रकार 0.20 है0 प्रतिवादी कम 1 बद्रीलाल जी के नाम आवंटन होने के बाद से खातेदारी प्राप्त हो गयी थी वह उक्त आराजी पर प्रतिवादी गण को कब्जा एव दखल सम्भला दिया था। तभी से प्रतिवादी गण उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। **प्रतिवादी**

<u>तनकी नं 3</u> आया कि उक्त आराजीयात से सम्बधित पूर्व में वादी द्वारा एक वाद पत्र प्रतिवादी के खिलाफ धारा 188 आरटीए का पेश किया था। जिससे वाद संख्या 19/2001 है जिसमें दिनांक 20.03.2003 को वादी का वाद प्रतिवादी का कब्जा मानते हुए खारिज कर दिया था। जिसकी अपील में राज0 राजस्व मण्डल अजमेर के यहां से भी प्रतिवादी गण के पक्ष में निर्णय पारित हो चुका है। **प्रतिवादीगण**

<u>तनकी नं0 4</u> अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडा में स्थित है जो वादी के खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने खाते की आराजी पर शान्ति पूर्वक ढंग से काश्त कर रहा है। वादी द्वारा फसल काश्त कर रहा है तथा विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

जो उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी गण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। यदि प्रतिवादी गण अपने कामयाब में सफल हो गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। प्रतिवादी गण को पाबन्द जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि ग्राम बडा में ख0नं0 1187 रकबा 0.40 है0 जो इन्तकाल नं0 517 से दिनांक 14.06.2000 में 0.10 है0 प्रतिवादी कम 2 पन्नालाल व 0.10 है0 रामा व 0.20 है0 प्रतिवादी कम 1 के नाम खातेदारी में प्राप्त हुई थी। आवंटन होने के बाद उसी समय उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 बद्रीलाल को कब्जा एवं दखल सम्भला दिया गया था। तब से आज तक प्रतिवादी कम 1 उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। जो रकबा 0.20 है0 है इस सम्बन्ध में पूर्व में भी माननीय न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 3 के विरूद्ध धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया था। जिसका निर्णय दिनांक 28.02.03 को पारित कर प्रति वादी गण का कब्जा मानते हुए वादी का वाद खारिज किया था। जिस पर प्रतिवादी गण का ही काबिज काश्त है। एक ही पक्षकारान व एक ही आराजी से सम्बधिंत निर्णय पारित करने के बाद पुनः वादी को उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का वाद रेसजुडीकेश का प्रभाव रखता है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। तथा प्रतिवादी कम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी नं0 1</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम बडा सम्वत 2065–68 खाता सं 134 के अनुसार ख0नं0 1186 व 1187 कुल किता 2 रकबा 1.82 है0 वादी छीतरलाल पुत्र परसराम जाति किराड सा0देह खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है जिससे प्रतिवादी गण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2</u> इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। नकल नामान्तकरण सं0 65 दिनांक 30.06.86 ग्राम बडा के अनुसार ख0नं0 1187/2298 रकबा 0.20 है0 भूमि बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल कोम किराड को माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारां द्वारा नियमन दिनांक 28.06.86 को की गई। जिसका नामान्तकरण दर्ज किया जाना पाया जाता है। नकल नामान्तकरण सं0 517 दिनांक 14.06.2000 के अनुसार ख0नं0 1187 रकबा 0.40 है0 भूमि [illegible] 0 है0 रामा पुत्र गोरधन, 0.10 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

नालाल पुत्र मांगीलाल 0.20 है0 भूमि बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बारां के आदेश से बंटवारा का नामा0 दर्ज किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के साथ यह साबित नहीं किया गया है कि प्रतिवादी को नाम नामा0 दर्ज होने के बाद यह भूमि उनके खाते दर्ज हुई या नहीं यह कही साबित नहीं किया है। क्योकिं वर्तमान में ख0 नं0 1187 रकबा 0.40 है0 भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी अपना खातेदारी में विवादित भूमि दर्ज होना साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादी का कब्जा साबित हो सके। प्रतिवादी खातेदारी एवं कब्जा काश्त साबित करने में विफल रहे है। प्रतिवादी गण द्वारा मात्र काउन्टर क्लेम पेश कर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कब्जा प्रतिवादी का माना हो। ऐसी कोई नकले माननीय न्यायालय की पेश नहीं की है। मात्र काउन्टर क्लेम में लिखने से कब्जा साबित नहीं होता है। प्रतिवादी गण अपने खातेदारी एवं कब्जा साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी द्वारा अपना कब्जा एवं खातेदारी साबित करने में विफल रहे है। अतःवादी का वाद स्वीकार एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:–कियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तहसील बारां के ख0नं01187 रकबा 0.40 है0 पर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 53/11	धारा अन्तर्गत 188 आर.टी.एक्ट,	निर्णय दिनांक : 24.05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री बाबूलाल जैन एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

छीतरलाल पुत्र परसराम जाति किराड निवासी बडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बडा तहसील बारां
2. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बडा तहसील बारां
3. श्याम पुत्र मोहनलाल जाति बैरागी निवासी बडा तहसील बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तहसील बारां के ख0नं01187 रकबा 0.40 है0 पर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक मूल्य (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner